प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत दुष्कर्म के अभियुक्त को हुई 14 वर्ष कारावास व अर्थदंड की सजा

दिनांक 18.08.21

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

इस क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिला सम्बन्धी अपराधों में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 18.08.2021 को थाना तालगांव से सम्बन्धित मु0अ0सं0 65/13 धारा 363/366/376 भा.द.वि व ¾ पाक्सो एक्ट बनाम कालिया उर्फ सुनील पुत्र बांकेलाल नि0 लच्छननगर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर में तालगांव पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 18.08.2021 को विचारण पूर्ण कर माननीय न्यायालय ASJ 15 PCSO ACT द्वारा अभियुक्त कालिया उर्फ सुनील उपरोक्त को धारा 363 भा.द.वि में 03 वर्ष कारावास व 2,000/- रू0 अर्थदण्ड, धारा 366 भा.द.वि में 07 वर्ष कारावास व 3,000/- रू0 अर्थदण्ड, धारा 376 भा.द.वि में 14 वर्ष कारावास व 10,000/- रू0 अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

--------------0--------------